प्रेस नोट **31/05/2024**

एक अन्तर्जनपदीय शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा वाहन, ई-रिक्शा चार्जर एवं मोबाईलफोन बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवालीनगर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 31.05.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंशीपुरा ब्रिज के पास से अभिषेक चौहान पुत्र बादशाह चौहान निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर बलिया के कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा वाहन, ई-रिक्शा चार्जर, एक अदद चोरी की मोबाईलफोन (सैमसंग) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 185/24 धारा 411,413,414 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक चौहान पुत्र बादशाह चौहान निवासी लिलकर थाना सिकन्दरपुर बलिया।

बरामदगी-

1. ई-रिक्शा वाहन, ई-रिक्शा चार्जर, एक अदद चोरी की मोबाईलफोन (सैमसंग)।

गोवंध नि0 अधि0 में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमन्चा व कारतूस बरामद-

आज दिनांक 31.05.2024 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर गंगऊपुर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 103/24 धारा 3/5ए/8 गोवंध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त अली बक पुत्र रज्जाक निवासी गंगऊपुर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 130/24 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

चोरी की एक अदद मोबाईलफोन के साथ एक शातिर गिरफ्तार-

आज दिनांक 31.05.2024 को थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रामघाट के पास से अभियुक्त मोहन पुत्र जलेश्वर निवासी सदर बाजार थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के कब्जे से चोरी की एक अदद मोबाईलफोन (ओपो) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। जो थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/24 धारा 457,380 भादवि से सम्बन्धित पाया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।